

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1155

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीति

1155. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री चंदन चौहान:

श्री नलिन सोरेन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कोई नई नीति बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त नीति के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;
- (घ) क्या उक्त नीति से रोजगार सृजन में मदद मिलने की संभावना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) : सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया है जो पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य और आसानी से समझने योग्य है। यह फ्रेमवर्क जो समय-समय पर यथासंशोधित (एफडीआई नीति), दिनांक 15.10.2020 के समेकित एफडीआई नीति परिपत्र में निहित है।

एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशकअनुकूल नीति तैयार की है-, जिसमें रणनीतिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर :स्वत, अधिकांश क्षेत्र, अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वतःअनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। : भारत ने अपनी एफडीआई नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विदेशी पूंजी अंतर्वाह को बढ़ाना है। हाल ही में, रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार तथा अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं। नए औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा रखने वाली वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति है (पहले यह 49% थी)। इसके अलावा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा को स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 49% से संशोधित करके 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में

बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई क्षेत्रगत सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की भी घोषणा की गई है। यह बड़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो सम्पूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार हमेशा विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना का विकास करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके और अधिक एफडीआई आकर्षित करने का प्रयास करती है। सरकार ने ईज ऑफ लीविंग और ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालयों/विभागों के 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। सरकार व्यावसायिक वातावरण को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जन विश्वास 2.0 विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव है। केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई है कि विश्वास आधारित आर्थिक शासन को सुदृढ़ करने और ईओडीबी को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी उपाय करने हेतु विनियामक सुधारों के लिए, विशेषरूप से निरीक्षण और अनुपालन के मामलों में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

देशभर में आसान व्यापार विनियामक फ्रेमवर्क को और मजबूत करने तथा राज्यों को एफडीआई सहित निवेश आकर्षित करने हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज एक्सेस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2024 रिपोर्ट जारी की है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, संभावित निवेशकों को सकारात्मक व्यापार ईकोसिस्टम के उदाहरणों के साथ विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए लॉजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन के बारे में बताया जा सके। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में यह घोषणा की गई कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों की निवेश अनुकूलता सूचकांक शुरू किया जाएगा।

एफडीआई प्रत्यक्ष रूप से घरेलू पूंजी का पूरक है और प्रत्यक्ष प्रवेश वाले क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी और कौशल उपलब्ध कराता है। इसका अन्य संबंधित क्षेत्रों पर भी अप्रत्यक्ष गुणक प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। उपर्युक्त सभी पहलों के सम्मिलन से विनियामक प्रक्रियाएं और अधिक सुचारू हो जाएंगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, तथा भारत के व्यापार परिदृश्य में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
